–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :–

पीठासीन अधिकारी :–देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 30/2023

उनवान

1. भंवरी पत्नी कालू
2. शंकर पुत्र कालू
3. शेर सिंह पुत्र कालू
4. गीता पत्नी श्रवण सिंह
5. सुखदेव पुत्र श्रवण सिंह
6. आशा पुत्री श्रवण सिंह
7. मैना पत्नी सोहन सिंह
8. दशरथ पुत्र सोहन सिंह
9. दिया पुत्री सोहन सिंह
10. कृष्णा पुत्री सोहन सिंह समस्त जाति रावत निवासी ग्राम राजोसी, दडा का बाडिया, नसीराबाद

——वादीगण :–जरियें अधिवक्ता श्री शांति प्रकाश शर्मा

बनाम

1. छीतर
2. नौरत
3. रतन पि. लाडू समस्त जाति जाति रावत निवासी ग्राम राजोसी, दडा का बाडिया, नसीराबाद
4. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

——प्रतिवादीगण :– 1 से 3 अनुपस्थित
4 जरियें राज. पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक :– 16.10.24

–: निर्णय :–

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम राजोसी में स्थित निम्न आराजी वादीगण के पूर्वज भूरा पुत्र लूम्बा की खातेदारी की है :–

साबिक खसरा नम्बर	रकबा	[illegible] नम्बर	रकबा
2314	0.24	1[illegible]	0.24
2317	0.2[illegible]	[illegible]	
2318	0.11	[illegible]088	0.33
2317	0.32	3213	[illegible]
2317	0.18	3225	[illegible]
2524	0.26	3237	0.26
2687	0.25	3278	0.25
2687 मिन	0.08	3296	0.08

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:00:13 IST
Reason: SelfAttested

2687 मिन	0.04	3299	0.04
2712	0.12	3314	0.12
2708	0.04	3330	0.040
2699	0.04	3333	0.040
2694	0.04	3336	0.050
2318/5431	0.02	3088/5984	0.02

उक्त आराजी वादी के पूर्वज भूरा पुत्र लूम्बा की खातेदारी थी। भूरा पुत्र लूम्बा के तीन पुत्र हजारी, लाडू, मोती हुये। भूरा के जीवनकाल में उनके पुत्र लाडू को आपू पत्नी पन्ना ने गोद ले लिया, जिसका पंजीकृत गोदनामा दिनांक 19.01.1984 को निष्पादित किया गया। उक्त दिवस से लाडू आपू व पन्ना का गोद पुत्र जाना व पहजाना जाता है। इस कारण मृतक भूरा द्वारा छोडी गयी सम्पति पर लाडू का कोई हक व अधिकार नही है। भूरा के शेष वारिस हजारी व मोती में से मोती अविविहित फौत होने के कारण मृतक भूरा की सम्पूर्ण आराजी पर उनका एक पुत्र हजारी ही मालिक व स्वामी हुआ। हजारी पुत्र भूरा की भी मृत्यु हो गयी है, जिसके विधिक वारिस वादीगण ही है। भूरा पुत्र लूम्बा की मृत्यु होने पर उनकी विरासत नामान्तकरण संख्या 748 दिनांक 22.10.19 में लाडू का भी नाम दर्ज कर दिया गया तथा लाडू की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का नाम जरियें विरासत अंकन कर दिया गया। जिस कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा हैं। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को घेाषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण में खण्डन नही होने के कारण कोई तनकियात कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये। व भंवरी व शंकर का शपथ पत्र पेश किया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। ग्राम राजोसी के खाता संख्या 457/440 किता 12 रकबा 1.95 व खसरा नम्बर 3088/5984 रकबा 0.02 की आराजी वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व मोती पुत्र भूरा के नाम खातेदारी दर्ज है। वादी कथन है कि भूरा पुत्र लूम्बा के तीन पुत्र हजारी, मोती व लाडू हुये। लाडू को आपू पुत्र पन्ना ने जरियें पंजीकृत गोदनामा दिनांक 19.01.1984 को गोद ले लिया था। नामानतकरण संख्या 243 दिनांक 02.06.2000 द्वारा आपू पत्नी पन्ना की मृत्यु के बाद उसकी सम्पति गोदनामा` आधार पर लाडू दत्तक पुत्र पन्ना के नाम अंकित की गयी। इस प्रकार स्पष्ट है कि लाडू पुत्र भूरा आपू पत्नी पन्ना के गोद जाने के कारण भूरा पुत्र लूम्बा की सम्पति में कोई हक व अध्किार नही रखता है। इसके उपरान्त भी भूरा पुत्र लूम्बा की विरासत दर्ज करते समय भूरा की सम्पति के 1/3 हिस्से पर लाडू को भूरा का पुत्र बताते हुये राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तकरण संख्या 50 दिनाक 12.6.89 से अंकित कर दिया। तथा लाडू की मृत्यु होने पर आराजी मुतनाजा पर उसके तीन पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का नाम जरियें नामान्तकरण संख्या 748 दि[illegible]10.19 से दर्ज कर दिया गया। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि कोई व्यक्ति अप[illegible] पिता अथवा दत्तक पिता में से एक की सम्पति पर ही हक व अधि[illegible] प्रकरण में लाडू को आपे द्वारा गोद लिये जाने के कारण लाडू का [illegible] पिता की भूमि पर से हक व अधिकार समाप्त हो चुके है। साथ ही लाडू को अपने [illegible]क माता–पिता की सम्पति पर हक प्राप्त हो चुके है। अतः लाडू व उसके पुत्रों का आराजी मुतनाजा पर कोई हक व अधिकार शेष नही है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज. पैरोकार ने वाद का कोई खण्डन नही किया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिललेख से वाद के कथनों की ताईद

——3

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:00:13 IST
Reason: SelfAttested

होती है। वादी का यह भी कथन है कि मुतक भूरा के पुत्र मोती की अविवाहित मृत्यु होने के कारण उसका हिस्सा भी वादीगण के नाम दर्ज किया जावे। किन्तु मोती पुत्र भूरा की अविवाहित मृत्यु होने का निर्धारण विरासत के तथ्यों जॉच के बाद ही किया जा सकता है।

उक्तानुसार ग्राम राजोसी के खाता संख्या 457/440 किता 12 रकबा 1.95 व खसरा नम्बर 3088/5984 रकबा 0.02 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादीगण को आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के हिस्से का खातेदार दर्ज करे तथा मृतक मोती पुत्र भूरा के वारिसान की जॉच कर विरासत की विधिवत कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:00:13 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान
भंवरी बनाम छीतर

दावा बाबत :– 88 188 राज. का. अधि0 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956
राजस्व मुकदमा नम्बर – 30/2023
पेश करने की दिनांक – 14.02.23

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक कैलाश बीजावत मुद्दई सीताराम रावत राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम राजोसी के खाता संख्या 457/440 किता 12 रकबा 1.95 व खसरा नम्बर 3088/5984 रकबा 0.02 की आराजी पर वादीगण का वाद "स्वीकार" किया जाता है। वादीगण को आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के हिस्से का खातेदार दर्ज करे तथा मृतक मोती पुत्र भूरा के वारिसान की जॉच कर विरासत की विधिवत कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक ——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 16 माह 10 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:00:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद